III/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/2298 (178)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी /अशोकनगर

धूमन सिंह पुत्र श्री अमान सिंह निवासी ग्राम बांसापुर तहसील व जिला अशोक नगर म.प्र.

...... आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

श्री विनोद दीक्षित 495 द्वारा आज दि. 21-7-017 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

न्यायालय. अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 159/अ–68/ 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक द्वारा निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, ग्राम बांसापुर अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 496/1 रकवा 0.053 हेक्टर का आवेदक भूमिस्वामी है। उससे लगी भूमि सर्वे क्रमांक 495/1 रकवा 0.010 हेक्टर एवं 490/1 रकवा 0.010 हेक्टर शासकीय भूमि है। आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री स्वच्छता योजना के अंतर्गत लेट्रीन बनवाने हेतु आवेदन दिया जिसके तहत सचिव ग्राम पंचायत द्वारा दो लेट्रीन बनवाने हेतु पैसा मंजूर हुआ। आवेदक द्वारा दोनो लेट्रीन का निर्माण विवादित भूमि जो आवेदक की थी उस पर कराया गया ।

2. यहकि, शिकायतकर्ता तोफान सिंह पुत्र होशियार सिंह द्वारा तहसीलदार अशोक नगर के समक्ष शिकायत की कि धूमन सिंह द्वारा सर्वे क्रमांक 490/1 एवं 495/1 पर अतिक्रमण कर लेट्रीन बना ली तथा शेष पर बांगड लगा दी । जिससे रास्ता अवरूद्व हो गया । तहसीलदार द्वारा धारा 248 म.प्र. भू राजस्व संहिता के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / अशोनगर / भू.रा. / 2017 / 2298

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक शासन के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के प्रकरण कमांक 159 / अ–68 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 05.07.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी प्रकरण के साथ धारा–52 स्थगन का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का सरांश यह कि ग्राम बासापुर अशोकनगर स्थित भूमि सर्वे कमांक 496 / 1 रकवा 0.053 है0 का आवेदक भूमिस्वामी है उससे लगी भूमि सर्वे कमांक 495 / 1 रकवा 0.010 है0 एवं 490 / 1 रकवा 0.010 है0. शासकीय भूमि है। आवेदक द्वारा प्रधान मंत्री स्वच्छता योजना के अंतर्गत लेट्रिन बनवाने हेतु आवेदन दिया जिसके तहत सचिव ग्राम पंचायत द्वारा दो लेट्रिन का निर्माण विवादित भूमि पर कराया गया। शिकायत कर्ता तोफ़ान सिंह पुत्र होशियार सिंह द्वारा तहसीलदार अशोक नगर के समक्ष शिकयत की कि धूमन सिंह द्वारा सव्रे कमांक 490 / 1 एवं 495 / 1 पर अतिक्रमण कर लेट्रिन बना ली तथा शेष पर बांगड लगा दी जिससे रास्ता बंद हो गया है। तहसीलदार द्वारा धारा 248 / 2 का प्रकरण मानकार अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर को सिविल जेल की कार्यवाही हेतु भेज दिया। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ आवेदक उपस्थित	

हुआ तथा बताया गया कि एक सप्ताह में अतिकमण हटा लेंगे। इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 496 / 1 रकवा 0.053 है0 भूमि आवेदक द्वारा 10 वर्ष पूर्व कय की गई थी उस पर उसका मकान बना हुआ उससें लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 495 / 1 एवं 490 / 1 भूमि है उस पर लेट्रिन बनाई है तथा पंचायत द्वारा प्रधान मंत्री स्वच्छता योजना के अंतर्गत आवेदक को 2400 / — रूप्ये की मंजूरीमिली थी, शेष रकम आवेदक द्वारा खर्च करके निर्माण कराया गया था।

4— आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन करने पर यह पता हूँ कि आवेदक द्वारा दिनांक अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के न्यायालय में उपस्थित होकर बताया गया है कि एक सप्ताह में अतिकमण हटा लेंगे। हल्का पटवारी श्री डी0 आर0 लाखरे द्वारा दिनांक 15.5.17 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर तथा संलग्न पंचनामा प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक द्वारा जो अतिकमण किया था वह ग्राम पंचो के समक्ष हटा लिया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर का प्रकरण कमांक 159 / अ—68 / 2016—17 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 5.7.17 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा अतिकमण हटा लिया गया है तो ठीक है अन्यथा मौके पर तहसीलदार / पटवारी जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

सदस्य